डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

रौमीदेवी बनाम राजेश कुमार वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 117/2017

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी खाता सं. 416 के आराजी खसरा नम्बरान 946 रकवा 0.01 है। 947 रकवा 0.51 है। 951 रकवा 0.53 हैक्टे 1201 रकवा 0.27 हैक्टेयर किता 4 रकवा कुल 1.32 हैक्टे वाके मौजा करही तहसील नदबई में स्थित हैं पर मृतक सीताराम के 2/5 हिस्से पर वादिनी तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 7 को प्रत्येक को 1/20 हिस्से का खातेंदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.02.2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत– सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

1. रोशी देवी पत्नि स्व. सीताराम जात जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज. हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं. 8 भरतपुर तहसीलव जिला भरतपुर राज.। — वादिनी

बनाम

1. राजेश कुमार मृतक

1/1 अनीता कुमारी उम्र 29 साल पत्नि स्व. श्री राजेश कुमार जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज. हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर

1/2 रिया उम्र 9 साल पुत्रियान राजेश कुमार जरिये वलि सरपरस्त माता खुद अनीता कुमारी पत्नि स्व. श्री राजेश जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर जिला भरतपुर राज.।

1/3 जानकी उम्र 8 साल पुत्रियान राजेश कुमार जरिये वलि सरपरस्त माता खुद अनीता कुमारी पत्नि स्व. श्री राजेश जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर जिला भरतपुर राज.

1/4 शिवा उम्र 6 साल पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार जरिये वलि सरपरस्त माता खुद अनीता कुमारी पत्नि स्व. राजेश कुमार जाति जाटव निवासी करही हाल निवास हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर हाल भरतपुर राज0।

2. राकेश कुमार पुत्र सीताराम जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
3. ज्ञानवती पुत्री सीताराम जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
4. राजवती पुत्री सीताराम जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.। असल प्रतिवादीगण
5. तरुण कुमार पिसरान सीताराम जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न. 8 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
6. चंचल पिसरान सीताराम जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न. 8 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
7. जयवीर पिसरान सीताराम जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न. 8 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
8. बबीता पुत्रियान बीरबल जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. पिंकी पुत्रियान बीरबल जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर
10. मेवाराम पुत्र गोपाली जाति जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई
11. राज. ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा बांसी खुर्द तह. नदबई।
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
13. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई।
14. सरपंच ग्राम पंचायत करही पं. स0 नदबई — प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 117/17
जी.सी.एस.एम. नं. 2017/00214
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 19.02.2021

1. रोमी देवी पत्नि स्व. सीताराम जात जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज. हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं. 8 भरतपुर तहसीलव जिला भरतपुर राज.।

— वादिनी

बनाम

1. राजेश कुमार मृतक

1/1 अनीता कुमारी उम्र 29 साल पत्नि स्व. श्री राजेश कुमार जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज. हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न0 14 भरतपुर

1/2 रिया उम्र 9 साल पुत्रियान राजेश कुमार जरिये वलि सरपरस्त माता खुद अनीता कुमारी पत्नि स्व. श्री राजेश जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर जिला भरतपुर राज.।

1/3 जानकी उम्र 8 साल पुत्रियान राजेश कुमार जरिये बलि सरपरस्त माता खुद अनीता कुमारी पत्नि स्व. श्री राजेश जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर जिला भरतपुर राज.

1/4 शिवा उम्र 6 साल पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार जरिये वलि सरपरस्त माता खुद अनीता कुमारी पत्नि स्व. राजेश कुमार जाति जाटव निवासी करही हाल निवास हीरादास का नंगला वार्ड नं0 14 भरतपुर हाल भरतपुर राज0।

2. राकेश कुमार पुत्र सीताराम जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
3. ज्ञानवती पुत्री सीताराम जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
4. राजवती पुत्री सीताराम जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।

असल प्रतिवादीगण

5. तरूण कुमार पिसरान सीताराम जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न. 8 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
6. चंचल पिसरान सीताराम जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न. 8 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
7. जयवीर पिसरान सीताराम जाति जाटव निवासी करही हाल निवासी हीरादास का नंगला वार्ड न. 8 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

8. बबीता पुत्रियान बीरबल जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
9. पिंकी पुत्रियान बीरबल जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
10. मेवाराम पुत्र गोपाली जाति जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
11. राज. ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा बांसी खुर्द तह. नदबई।
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
13. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई।
14. सरपंच ग्राम पंचायत करही पं. स0 नदबई

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद (वादिनी की और से)

निर्णय

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादिनी व प्रतिवादीगण मं से कोई भी पक्षकारान नावालिग एवं फातरूल अबल नहीं है। सभी दावा लड़ने में सक्षम हैं।
2. यह कि विवादित आराजी खाता सं. 416 के आराजी खसरा नम्बरान 946 रकवा 0.01 है। 947 रकवा 0.51 है। 951 रकवा 0.53 हैक्टे 1201 रकवा 0.27 हैक्टेयर किता 4 रकवा कुल 1.32 हैक्टे वाके मौजा करही तहसील नदबई में स्थित हैं विवादित आराजी में वादनी के पति मृतक सीताराम का 2/5 हिस्सा दर्ज है तथा अब खातेदार सीताराम की मृत्यु हो चुकी है। तथा उसकी मृत्यु के बाद वादिनी असल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व तर. प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7 उसके वारिस है। वादनी के परिवार का सजारा पेश किया जा रहा है। जो दावा को समझने में सहायक सिद्ध होगा। मुताबिक सजारा मृतक सीताराम की दो पत्नियां किशनप्यारी व रामीदेवी थीं जिनमें से किशनप्यारी की मृत्यु सीताराम के जीवनकाल में हो गई थी वर्तमान में मृतक सीताराम के वादिनी व असल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व तर. प्रतिवादी 5 लगायत 7 यानि कुल 8 वारिसान है। तथा मृतक सीताराम के नाम दर्ज विवादित आराजी के 2/5 हिस्से में से 1/20, 1/20 हिस्से के हिस्सेदार है। लेकिन असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मन में बदयान्ती है और वह चुपचाप मृतक सीताराम के नाम दर्ज आराजी का अपने नाम दाखिल खारिज करवाकर वादनी व तरतीवपी प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7 को उनके हिस्से से महरूम करना चाहते है। जबकि वादनी व तर. प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7 मृतक सीताराम के कानूनी वारिस है। ऐसी स्थिति में वादनी मृतक सीताराम के नाम दर्ज आराजी मुतनाजा में से मुताबिक हिस्सा सभी को 1/20, 1/20 हिस्से की खातेदारी दर्ज करा पाने की अधिकारी है।
3. यह कि असल प्रतिवादी सं. 1 ल0 4 ने दिनांक 27.06.2[illegible] वादनी को खुलेआम धमकी दी है। कि वह मृतक सीताराम के नाम दर्ज आराजी [illegible] दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज कराकर रहेंगे तथा वादनी व तर0 प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7 को हिस्से से महरूम करके रहेंगें। अगर असल प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादनी को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से नहीं हो सकेगी इसलिए वादनी असल प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] जिला भरतपुर

कवह मृतक सीताराम के नाम दर्ज आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम न्यारानूर दर्ज नहीं करायें व रहन, वय, रहन, वय मुन्तकिल नहीं करें व राज रव रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

4. यह कि बिनाय मुखासमत यौम देने धमकी दिनांक 27.06.2017 से वाद पैदा होकर वादनी को यह दावा लाना पड़ा हैं।

5. यह कि प्रतिवादी सं. 12 व 14 को दाखिल खारिज तस्दीक करने व प्रतिवादी सं. 13 को वयनामा तस्दीक करने व प्रतिवादी सं. 11 के यहां विवादित आराजी रहन होने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया है। उनसे कोई अन्य दादरसी नहीं चाही गई है।

6. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में वर्णित आराजी मुतनाजा व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान जी को वादपत्र सुनने के अधिका बखूबी हासिल है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है। कि दावा वादीनी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

अ. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी में मृतक सीताराम के नाम दर्ज 2/5 हिस्से की आराजी में वादनी व असल प्रतिवादी संख्या 1ल0 4 व तर. प्रतिवादी सं. 5 ल0 7 को 1/20 , 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

ब. यह कि असल प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द किया जावे । किवह वादनी व तर. प्रतिवादी सं. 5 ल0 7 को छोड़कर अपने नाम मृतक सीताराम के नाम दर्ज आराजी का विरसत का दाखिल खारिज नहीं करवायें व वादी व तर. प्रतिवादी सं. 5 ल0 7 को उनके हिस्से की आराजी में से काश्त करने से नही रोंके व विवादित आराजी का दाखिल खारिज कराकर रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये परन्तु तामील ना होने के कारण, प्रतिवादी 1 लगायत 7 की त[illegible] रजि0 एण्डी से कराई गयी। प्रतिवादीरा. 8 से 10 को वादी के प्रार्थना पत्र तर्क किये ज[illegible] र किये जाने पर दावा से प्रतिवादी स. 8 लगायत 10 को दावा से तर्क किया गया। [illegible] सं. 1 राजेश कुमार मृतक के वारिसान की भी तामील जरिये रजि0 एण्डी से करवाई गयी। [illegible] स. 1 लगायत 14 तामील बावजूद अनुपस्थित होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अ[illegible] गयी। तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत कि गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संबत 2069–72 वाके ग्राम करही प्रदर्श –1, नकल जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 वाके ग्राम करही प्रदर्श –2, नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2028 वाके ग्राम करही प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2057–2077 वाके ग्राम करही, नकल जमाबन्दी सवत 2073 से 2076 वाके ग्राम करही व सजरा मृतक सीतारा के वारिसान का ग्राम पचायत करही तथा मौखिक बयान के रूप में शपथपत्र वादीनी रौमी पत्नि सीताराम जाति जाटव निवासी करही, तथा शपथ पत्र दौलतसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी करही पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
वैर जिला भरतपुर

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकील की एक तरफा में बहस सुनी गई तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया। बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया तो पाया कि :–

वादीनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंन्दी संवत 2069 से 2072 पेश कि गई जिसमें विवादित आराजीयात ख0न0 946, 947, 591, 1201, मौजा करही तहसील नदबई पर सीताराम पुत्र ननुआ की 2/5 हिससे पर खातेदारी अंकन हो रहा है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल सवंत 2060 के अनुसार विवादित आराजी के हाल ख0न0 946, 947, 591, 1201 साबिक खसरा नम्बरान नकल जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 के अनुसार ननुआ पुत्र जवाली की खातेदारी अंकित हों रही है। इस प्रकार से विवादित आराजीयत वादिनी की पैत्रिक आराजीयात है। तथा संरपंच ग्राम पंचायत करही द्वारा मृतक सीताराम के वारिसान प्रमाण पत्र तारीख 21.09.2020 के अनुसार वादिनी एवं प्रतिवादी स. 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 है। ऐसी स्थिति में मृतक सीताराम की खातेदारी की आराजी में वादिनी व असल प्रतिवादी स. 1 लगात 4 तथा तरतिवि प्रतिवादी स. 5 लगायत 7 का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा पर हक होता है। तथा इनका विवादित आराजी पर इसी अनुरूप से काबिज है, इसके संबध में वादिनी ने अपना ब्यान पी.डब्लू. 1 तथा पी.डब्लू.2 पेश किये गये है। इस प्रकार से वादिनी अपने वाद पत्र को प्रार्थना अनुसार डिक्रकी किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि आराजी खाता सं. 416 के आराजी खसरा नम्बरान 946 रकवा 0.01 है। 947 रकवा 0.51 है। 951 रकवा 0.53 हैक्टे 1201 रकवा 0.27 हैक्टेयर किता 4 रकवा कुल 1.32 हैक्टे वाके मौजा करही तहसील नदबई में स्थित हैं पर मृतक सीताराम की 2/5 हिस्से पर वादिनी तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 7 को प्रत्येक को 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested